



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-23092025-266323
CG-TL-E-23092025-266323

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4121]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 2025/भाद्र 31, 1947

No. 4121]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2025/BHADRA 31, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)
अधिसूचना

सिकंदराबाद, 13 सितम्बर, 2025

का.आ. 4239(अ).— केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा, “दक्षिण मध्य रेलवे के हैदराबाद मंडल के जनकमपेट-बोधन सेक्शन में जनकमपेट और बोधन स्टेशनों के बीच समपार फाटक सं. 18/जेबी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण” को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए तेलंगाना राज्य के निजामाबाद ज़िला में भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. Y/GS/LC 18/JB/eGazette/2025]

एल. सांबशिव राव, मुख्य परियोजना प्रबंधक गति शक्ति/II

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 13th September, 2025

S.O. 4239(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "Road Over Bridge in lieu of LC No. 18/JB between Jankampet and Bodhan Stations in Jankampet - Bodhan section of Hyderabad Division over South Central Railway" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Telangana in the District of Nizamabad for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. Y/GS/LC 18/JB/eGazette/2025]

L. SAMBASIVA RAO, Chief Project Manager Gati Shakti/II